

न्यायालय तहसीलदार राजगढ़ (अलवर)

पत्रावली संख्या 33 / 2021 तारीख दायर 17.8.21 दिनांक निर्णय 27.8.21

उनवान

2021
83


रिपोर्ट पटवारी एलक) फिरोजपुर बनाम रामनाथ पुत्र दौरे लाल
कौश मीना नि. वावडी


आज पत्रावली मु. - राजगढ़ पेश हुई। गैरसायल ~~ब्य~~/अनु. जवाब पेश ~~किया~~/नहीं करना चाहता है। सबूत गैरसायल बन्द की जानी है। अतिकमी का स. ~~206~~ 2078 का नया कब्जा होना साबित होता है। अतिकमी काबिल बेदखली है।

अतः आदेश है कि-

गैरसायल रामनाथ पुत्र दौरे लाल
जाति मीना निवासी वावडी को
आराजी खसरा नं. 4 रकबा 0.25 किस्म चा.रा.0 वाके ग्राम वावडी
से बेदखल किया जाता है तथा शरह लगान 1.50 की 50 गुणा में मु.
7500 कायमी कराई जावे TRA व पटवारी की पालनार्थ लिखा लावें।

फसल निलामी हेतु गिरदावर/कानूनगो को लिखा जावें।


तहसीलदार
राजगढ़ (अलवर)

रा. ले. स. 4 वर्ष 2021-22
के पृष्ठ संख्या 14 पर ज्ञा. पं. 75/-
राशि काबम किये गये।

त. रा. लेखाकार